


287



न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर


प्र० क० निगरानी -एक/17

निग 10/24-I/17

1-श्रीमती सरिता जैन पति मनीष
कुमार जैन

2-संजय कुमार जैन उर्फ विचकी जैन
निवासीगण- वार्ड क्रमांक 6, पंचमुखी
हनुमान मंदिर के पास, बण्डा तहसील
बण्डा, जिला सागर म०प्र०

राज की वकील सागा
30.3.17


30.3.17
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

--- आवेदकगण

विरुद्ध

1-वीरेन्द्र कुमार जैन पिता श्री गोपीलाल
जैन निवासीगण- वार्ड क्रमांक 6,
बण्डा, जिला सागर म०प्र०

---- अनावेदक

P.V.S.
30/3/17

यह निगरानी आवेदन म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50
के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक बण्डा तहसील बण्डा जिला सागर के
प्रकरण क्रमांक 13/अ-12अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक
18.02.2017 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

महोदय,

निगरानी आवेदन में सादर निम्न प्रार्थना है:-



-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-1014-एक/2017

जिला-सागर

श्रीमती सरिता जैन व अन्य विरुद्ध वीरेन्द्र कुमार जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर
18-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बण्डा, तहसील बण्डा, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-02-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी बण्डा, जिला-सागर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।	

(आर.के. जैन)
सदस्य 18/03/19